संख्या-710 /9-9-2012-6ज/96

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल,** 2012

विषयः नगरीय निकाय की सीमा के भीतर पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-766/नौ-9-2003-6ज/96 दिनांक 08.04.2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नगरीय निकाय की सीमा के भीतर आने वाले यू.पी.एस.आई.डी.सी. उद्योग निदेशालय तथा सहकारी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों का रख-रखाव उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किये जाने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले विभिन्न कर यूजेज चार्जेज की 60 प्रतिशत धनराशि औद्योगिक क्षेत्र के भीतर ही नगरीय सुविधाओं की पूर्ति, रख-रखाव पर खर्च की जायेगी तथा शेष 40 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नगरीय निकायों द्वारा किया जायगा।

2. जिन नगरीय निकायों के क्षेत्र में स्थित उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा हस्तान्तरित कर प्राप्त कर लिया जाय तो उपरोक्तानुसार 60 प्रतिशत करों की आय निकायों द्वारा औद्योगिक विकास निगम को हस्तान्तरित कर दी जाय। शेष 40 प्रतिशत धनराशि निकाय

go-y

स्वयं उपयोग करेंगी, के निर्देश निर्गत किये गये थे। प्रायः देखा जा रहा है कि उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देशों का सही अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगरीय निकाय की सीमा के भीतर पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 08.04.2003 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

17/4/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कानपुर।
3. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नगर विकास अनुभाग के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

go-y